(14)

बिहार सरकार

समाहरणालय रोहतास

(जिला पशुपालन कार्यालय)

निविदा संख्या –02 /2018–19 (चारा)

उत्पादक/भंडारकर्ता/उप भंडारकर्ता/पंजीकृत थोक बिक्रेता से बाढ़/सुखाड़ सहाय कार्य के लिए पशु चारा (गेंहू भूसा/पुआल कुट्टी)/दाना का सीलबंद निविदा रोहतास जिला के विभिन्न प्रखण्ड़ो में वर्ष 2018–19 के लिए आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया गया था। जिसका निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12.05.2018 था। उक्त तिथि तक एक भी निविदा कार्यालय में प्राप्त नही होने के फलस्वरूप पुनर्निविदा आमंत्रित किया जाता हैं। निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशन के 21वें दिन शाम 05:00 बजे तक जिला पशुपालन कार्यालय, रोहतास में प्राप्त किया जाएगा। निविदा को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा क्रय कमिटी के द्वारा निविदा के अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को खोला जाएगा। जिसमें निविदादाता/उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा की शर्ते जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के सूचना पट्ट एवं विभागीय बेवसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता हैं।

16/5/18
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
रोहतास (सासाराम)

06/06/18
जिला पदाधिकारी
रोहतास (सासाराम)

समाहरणालय, रोहतास (सासाराम)

(13)

निविदा

रोहतास जिला में आसन्न बाढ/सुखाड़ के पूर्व तैयारियों के क्रम में पशु सुखा चारा (गेंहू भूसा/पुआल कुट्टी) एवं दाना का दर निर्धारण हेतु सक्षम फार्मों से निम्न शर्त्तों के अधीन दुबारा निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा दाता का फर्म निबंधित होनी चाहिए।
2. निविदा दाता को वित्तीय वर्ष 2016–17 तक 3 वर्षो का बिक्रीकर एवं आयकर का भुगतान प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए। तथा काली सूची में उनका नाम दर्ज नहीं होना चाहिए।
3. निविदा के साथ रू0– 5000/– (पाँच हजार) का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के नाम से सासाराम में भुगतेय होगा।
4. निविदा मोहर बन्द लिफाफे में निविदा प्रकाशन के 21 दिनों के अन्दर 05 बजे अपराहन तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। निविदा प्रकाशन से अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी तथा जिसमें निविदा दाता अथवा उनके प्रतिनिधि भाग ले सकते है।
5. सामग्री उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए। सामग्री आदेश के पश्चात 24 घंटे के अन्दर आपूर्त्ति करनी होगी। निविदा दाता सामग्री आपूर्त्ति की जाने वाली सामग्री का नमूना पारदर्शी प्लास्टीक की थैली में सील बंद कर उसपर नाम एवं पता तथा मोबाईल नं0 अंकित हो उक्त तिथि को साथ रखना होगा।
7. निविदा दाता का सामग्री आपूर्त्ति से संबंधित यदि अनुभव प्रमाण–पत्र हो तो निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
8. निविदा दाता को वित्तीय तथा तकनिकी निविदा अलग–अलग सील बन्द लिफाफे में देना होगा। जिस पर सुखा चारा (गेंहू भूसा/पुआल कुट्टी) हेतु निविदा अंकित होना चाहिए एवं किसी निविदा को रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
9. वित्तीय निविदा में सुखा चारा (गेंहू भूसा/पुआल कुट्टी) का दर साफ–साफ लिखा होना चाहिए। कटींग/ओवर राईटिंग मान्य नही होगा।
10. बाढ़ एवं सुखाड़ होने पर प्रभावित प्रखण्डो के शिविर स्थल पर सुखा चारा (गेंहू भूसा/पुआल कुट्टी) आपूर्त्ति हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा।
11. सफल निविदा दाता को सात दिन के अन्दर जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) से एक एकारारनामा करना होगा जिसमें निविदा के सभी शर्त्तो तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होगें।
12. शर्तो के अनुपालन मे शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमिता, गुणवता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी एवं काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
13. कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा एंव कोई भी विवाद सासाराम न्यायालय के दायरे में होगा।
14. सुखा चारा (भूसा/कुट्टी) में 10 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होनी चाहिये एवं कवक (फफुंदी) रहित होना चाहिये।
15. नियमानुसार भुगतान पर कर की कटौती की जायेगी।
16. अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर किए हुए वित्तीय निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जाएगा।
17. निविदा के साथ संलग्न की जानेवाली कागजात निविदा जमा करते समय संलग्न रहना चाहिए। बाद में जमा करने संबंधी किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।

7/6/18

जिला पशुपालन पदाधिकारी
रोहतास, (सासाराम)

06/06/18

जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम